



# विदेश व्यापार नीति 2015-20 की मध्यावधि समीक्षा जारी, श्रम बहुल/एमएसएमई क्षेत्रों के लिए वार्षिक प्रोत्साहनों में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी

Posted On: 05 DEC 2017 6:00PM by PIB Delhi

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने आज नई दिल्ली में विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 की बहुप्रतीक्षित मध्यावधि समीक्षा जारी की।

यह समीक्षा वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सी आर चौधरी, वित्त सचिव श्री हसमुख अधिया, वाणिज्य सचिव श्रीमती रीता तेवतिया, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में सचिव श्री रमेश अभिषेक और विदेश व्यापार महानिदेशक श्री आलोक चतुर्वेदी की मौजूदगी में जारी की गई।

श्री सुरेश प्रभु ने अपने प्रमुख संबोधन में कहा कि विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के तहत अपेक्षाकृत कम अनुपालन और लॉजिस्टिक्स लागत के रूप में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के ऐतिहासिक सुधार से होने वाले दीर्घकालिक फायदे से अनुकूल परिदृश्य सुनिश्चित किया जाएगा। एफटीपी के तहत ज्यादा प्रोत्साहन देते हुए श्रम बहुल और एमएसएमई क्षेत्रों से निर्यात पर फोकस किया जाएगा, ताकि रोजगार अवसरों में वृद्धि की जा सके। इसके तहत सीमा पार 'व्यापार में सुगमता' सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। एक अत्याधुनिक व्यापार विश्लेषणात्मक प्रभाग के जरिए सूचना आधारित नीतिगत कदम सुनिश्चित किए जाएंगे। जहां एक ओर पारंपरिक उत्पादों और बाजारों में मौजूदा हिस्सेदारी को बरकरार रखा जाएगा, वहीं दूसरी ओर नए उत्पादों और नए बाजारों पर फोकस किया जाएगा।

वाणिज्य राज्य मंत्री ने कहा कि संशोधित एफटीपी से भारतीय निर्यात को और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री के गतिशील एवं दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार ने विनिर्माण एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। जीएसटी के कारण कार्यशील पूंजी के अटक जाने से संबंधित मसले को सुलझा लिया गया है। श्री चौधरी ने निर्यात बास्केट में विविधता लाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित किया जाएगा।

वित्त सचिव ने विशेष जोर देते हुए कहा कि सरकार निर्यातकों के प्रति अत्यंत संवेदनशील रही है। जीएसटी परिषद द्वारा निर्यात पैकेज को मंजूरी दी गई थी जिससे कार्यशील पूंजी के अटक जाने का मसला सुलझ गया है। उन्होंने कहा कि निर्यातकों के लिए आईटीसी और आईजीएसटी के रिफंड में तेजी लाई जा रही है और निर्यातकों के लिए आईजीएसटी से संबंधित दावों के रिफंड की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी आगे चलकर निर्यातकों के लिए काफी लाभप्रद साबित होगा।

वाणिज्य सचिव ने कहा कि एफटीपी की दिशा में 'समस्त सरकार' की अवधारणा के साथ कदम आगे भी उठाए जाएंगे, जिसमें सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों को शामिल किया जाएगा। पिछले दस वर्षों के दौरान निर्यात 8 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ आगे बढ़ा है, जो अत्यंत सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि सरकार यह मानती है कि मझोले एवं लघु उद्योगों का मार्गदर्शन करने एवं उन्हें सहायता देने की जरूरत है, इसलिए भारत से वाणिज्यिक निर्यात (एमआईआईएस) के लिए दरें बढ़ा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती यह है कि देश के अंदर मौजूद विभिन्न बाधाएं दूर की जाएं जिनमें बुनियादी ढांचागत अवरोध, लेन-देन की ऊँची लागत, जटिल प्रक्रियाएं, निर्माण संबंधी अवरोध और हमारी सेवाओं का अपर्याप्त विविधीकरण शामिल हैं। इसे ध्यान में रखते हुए वाणिज्य विभाग ने देश में एकीकृत एवं सुचारु लॉजिस्टिक्स विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नए प्रभाग की स्थापना की है। वाणिज्य सचिव ने कहा कि बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में मौजूद कमियों को दूर करने के उद्देश्य से निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना का शुभारंभ किया गया है।

अग्रिम प्राधिकारी, निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान और शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई (ईओयू) योजना के तहत शुल्क मुक्त आयात की निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न फायदों को बहाल करके जीएसटी लागू होने के बाद निर्यातकों की कार्यशील पूंजी के अटक जाने की समस्या सुलझा ली गई है। इसके साथ ही एफटीपी समीक्षा के तहत श्रम बहुल एमएसएमई क्षेत्रों (सेक्टर) के लिए प्रोत्साहनों में वृद्धि करने पर फोकस किया गया है। भारत से वाणिज्यिक निर्यात योजना (एमआईआईएस) के तहत निर्यात प्रोत्साहनों में सभी स्तरों पर श्रम बहुल एमएसएमई क्षेत्रों के लिए दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है जिससे 4,567 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन सुनिश्चित हुआ है। यह श्रम बहुल कपड़ा क्षेत्र में तैयार परिधानों तथा मेड-अप्स के लिए एमआईआईएस प्रोत्साहनों को दो प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत करने की घोषणा के अलावा है। इससे 2,743 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन सुनिश्चित हुआ है। इसके अलावा, भारत से सेवा निर्यात योजना (एसआईआईएस) के तहत प्रोत्साहनों में भी दो प्रतिशत की वृद्धि की गई है जिससे 1,140 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है।

अतः उपर्युक्त दोनों योजनाओं के तहत मिलने वाले प्रोत्साहनों में 33.8 प्रतिशत (8,450 करोड़ रुपये) की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मौजूदा प्रोत्साहन 25,000 करोड़ रुपये का है। इसके फलस्वरूप श्रम बहुल क्षेत्रों के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है और इसके साथ ही रोजगार अवसर भी बढ़ गए हैं। जो प्रमुख क्षेत्र लाभान्वित हुए हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं-

- कपड़ा क्षेत्र में सिले-सिलाए परिधानों और मेड-अप्स के लिए 2743 करोड़ रुपये
- चमड़ा एवं फुटवियर सामग्री के लिए 749 करोड़ रुपये
- रेशम, हथकरघा एवं काँयर की हस्तनिर्मित कालीनों और जूट उत्पादों के लिए 921 करोड़ रुपये
- कृषि एवं संबंधित उत्पादों के लिए 1354 करोड़ रुपये
- होटल एवं रेस्तरां सहित सेवाओं, हॉस्पिटल, शैक्षणिक सेवाओं इत्यादि के लिए 1140 करोड़ रुपये
- समुद्री उत्पादों के लिए 759 करोड़ रुपये
- दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिए 369 करोड़ रुपये
- चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा उपकरणों के लिए 193 करोड़ रुपये

इसके अलावा, ड्यूटी फ्रीड्रेडिटेड स्क्रिप्स की वैधता अवधि 18 माह से बढ़ाकर 24 माह कर दी गई है तथा स्क्रिप्स के हस्तांतरण/बिक्री पर जीएसटी दरें घटाकर शून्य कर दी गई हैं। विशिष्ट नामित एजेंसियों को आईजीएसटी का भुगतान किए बगैर सोना आयात की अनुमति देकर निर्यातकों के लिए सोने की उपलब्धता का मसला सुलझा लिया गया है। इसके अलावा निर्यात ऋण गारंटी निगम को दी जाने वाली सहायता राशि भी बढ़ाई जा रही है, ताकि निर्यातकों खासकर एमएसएमई द्वारा खोजे जा रहे नए अथवा दुर्गम बाजारों के लिए बीमा कवर में वृद्धि की जा सके।

निर्यात के लिए आवश्यक कच्चे माल की स्व-आकलन आधारित शुल्क मुक्त खरीद की नई योजना शुरू की गई है। इस तरह के मामलों में मानक इनपुट-आउटपुट मानकों की कोई जरूरत नहीं होगी, अतः इसके परिणामस्वरूप विलंब की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। यह विश्वास पर आधारित है। निर्यातक शुल्क मुक्त कच्चे माल/इनपुट की आवश्यकता का स्व-प्रमाणन करेंगे।

विदेश व्यापार से जुड़े सभी मसलों को सुलझाने और इसके साथ ही आवश्यक सुझाव देने हेतु निर्यातकों और आयातकों के लिए एकल खिड़की संपर्क केन्द्र के रूप में डीजीएफटी की वेबसाइट ([www.dgft.gov.in](http://www.dgft.gov.in)) पर **Contact@DGFT** सेवा शुरू की गई है।

डेटा आधारित नीतिगत कदमों के लिए डीजीएफटी में एक अत्याधुनिक व्यापार विश्लेषणात्मक प्रभाग स्थापित किया गया है। इस पहल के तहत डीजीसीआईएस से प्राप्त होने वाली व्यापार सूचनाओं की प्रोसेसिंग की जाएगी।

वाणिज्य विभाग में एक नया लॉजिस्टिक्स प्रभाग बनाया गया है, ताकि लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास में समन्वय स्थापित किया जा सके। इसके लिए नीतिगत बदलाव किए जाएंगे, मौजूदा प्रक्रियाओं को बेहतर किया जाएगा और विभिन्न बाधाओं की पहचान की जाएगी।

एफटीपी समीक्षा के तहत सीमा पार 'व्यापार में सुगमता' पर फोकस किया जाएगा। निर्यातकों के मार्गदर्शन एवं सहायता के लिए एक प्रोफेशनल टीम होगी, जो निर्यात संबंधी समस्याओं को सुलझाने, निर्यात बाजार तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने और नियामकीय संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने में मदद करेगी।

विदेश व्यापार नीति की समीक्षा एवं आकलन नियमित रूप से किया जाएगा, ताकि निर्यातकों की चिंताएं दूर करने के साथ-साथ प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

विदेश व्यापार नीति 2015-20 की मुख्य बातों से अवगत होने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्रक यहां क्लिक करें

\*\*\*

वीके/एम/आरआरएस/डीके-**5741**

(Release ID: 1511985) Visitor Counter : 805

